

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या: 279 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 390)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. निर्मल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.08.2025

उपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी

2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय—

दिनांक: 24.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 56/50 के मुरब्बा नम्बर 4, 56/1 की कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि में से 0.410 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.769 हैक्टेयर भूमि में से 0.942 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 56 की कुल 1.770 हैक्टेयर भूमि में से 0.442 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 21, 22, 31, 32, 40, 41, 56/9, 56/38 की कुल 12.668 हैक्टेयर भूमि में से 1.907 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 8, 48, 50, 51, 56/3, 56/27 की कुल 17.793 हैक्टेयर भूमि में से 1.583 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 108/108 के मुरब्बा नम्बर 26, 71, 78/8 की कुल 7.587 हैक्टेयर भूमि में से 1.390 हैक्टेयर भूमि वादी गुरवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 56/50 के मुरब्बा नम्बर 4, 56/1 की कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि में से 0.412 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.769 हैक्टेयर भूमि में से 0.942 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 56 की कुल 1.770 हैक्टेयर भूमि में से 0.443 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 21, 22, 31, 32, 40, 41, 56/9, 56/38 की कुल 12.668 हैक्टेयर भूमि में से 0.895 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 8, 48, 50, 51, 56/3, 56/27 की कुल 17.793 हैक्टेयर भूमि में से 0.898 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 108/108 के मुरब्बा नम्बर 26, 71, 78/8 की कुल 7.587 हैक्टेयर भूमि में से 1.390 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी निर्मल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही गांव के रहने वाले है। जिनकी उक्त दोनों खातों में भूमि पडती है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काश्त सहूलियत के लिए अपने नाम दर्ज भूमि का घरू बंटवारानामा किया हुआ है, लेकिन उक्त आराजी का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। घरू बंटवारानामा में वादी को राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 56/50 के मुरब्बा नम्बर 4, 56/1 की कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.769 हैक्टेयर भूमि में से 1.884 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 56 की कुल 1.770 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 108/108 के मुरब्बा नम्बर 26, 71, 78/8 की कुल 7.587 हैक्टेयर भूमि में से 2.780 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारानामा में राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या

5/5 के मुरब्बा नम्बर 8, 48, 50, 51, 56/3, 56/27 की कुल 17.793 हैक्टेयर भूमि में से 2.481 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 21, 22, 31, 32, 40, 41, 56/9, 56/38 की कुल 12.668 हैक्टेयर भूमि में से 2.802 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काशत है। वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षों से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काशत के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काशत की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओं का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्ज्वल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काशत के रकबा अंकित नहीं है। आज से 2 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 56/50 के मुरब्बा नम्बर 4, 56/1 की कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि में से 0.412 हैक्टेयर भूमि का, खाता संख्या 57/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.769 हैक्टेयर भूमि में से 0.942 हैक्टेयर भूमि का, खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 56 की कुल 1.770 हैक्टेयर भूमि में से 0.443 हैक्टेयर भूमि का, राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 108/108 के मुरब्बा नम्बर 26, 71, 78/8 की कुल 7.587 हैक्टेयर भूमि में से 1.390 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संघोधित वादपत्र सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 8, 48, 50, 51, 56/3, 56/27 की कुल 17.793 हैक्टेयर भूमि में से 1.583 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 21, 22, 31, 32, 40, 41, 56/9, 56/38 की कुल 12.668 हैक्टेयर भूमि में से 1.907 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार है। लिहाजा वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर अंतिम डिक्री जारी किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को, प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 56/50 के मुरब्बा नम्बर 4, 56/1 की कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि में से 0.4115 हैक्टेयर भूमि का, खाता



सहायक कमिश्नर एवं पट्टे
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

संख्या 57/51 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.769 हैक्टेयर भूमि में से 0.942 हैक्टेयर भूमि का, खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 56 की कुल 1.770 हैक्टेयर भूमि में से 0.443 हैक्टेयर भूमि का, राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 108/108 के मुरब्बा नम्बर 26, 71, 78/8 की कुल 7.587 हैक्टेयर भूमि में से 1.3905 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 निर्मल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को, वादी गुरवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 8, 48, 50, 51, 56/3, 56/27 की कुल 17.793 हैक्टेयर भूमि में से 1.583 हैक्टेयर भूमि का, खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 21, 22, 31, 32, 40, 41, 56/9, 56/38 की कुल 12.668 हैक्टेयर भूमि में से 1.907 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं पेटेंट उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलास सुमायित गया।



[सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं पेटेंट उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)